## प्ररूप 21 ग

## (नियम 64 देखिए)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन परिणाम की घोषणा

28-मंडावा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से राजस्थान (राज्य) की विधान सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूं कि -

कुमारी रीटा चौधरी

(नाम)

ग्राम व पोस्ट - हेतमसर,

(पता)

वाया - भारू, तहसील - मण्डावा, जिला - झुन्झुन्

जो **इंडियन नेशनल काँग्रेस** (मान्यता प्राप्त/ रजिस्ट्रीकृत राजनैतिक पार्टी का नाम) द्वारा खड़ी की गई हैं।

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान को भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गई हैं।

स्थान : झुंझुनू

तारीख: 03.12.2023

(हवाई सिंह यादव)

रिटर्निंग ऑफिसर

28-मंडावा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट मलसीसर

> (हवाई सिंह यादव) रिटर्निंग ऑफिसर 28 बंडाबा बिद्यानसभा निर्वाचन क्षेत्र उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, मलसीसर

## Form 21 C

(see rule 64)

(For use in General Election when seat is contested)

Declaration of the result of Election under section 66 of the Representation of the People Act, 1951

Election to the Legislative Assembly of Rajasthan State from the 28-Mandawa Assembly constituency.

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that -

Kumari Rita Chaudhary Village & Post Hetamsar, Via -Bharu, Tehsil - Mandawa, District – Jhunjhunu

(Name)

(Address)

sponsored by **Indian National Congress** (name of the recognised / registered political party) has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.

Place

Jhunjhunu

Date

03.12.2023

(Hawai Singh Yadav)

Returning Officer

28- Mandawa Assembly Constituency Sub Divisional Officer & Sub Divisional Magistrate, Malsisar

(Hawai Singh Yadav)

Returning Officer

28 Mandawa Assembly Constituency
Sub Divisional Officer &

Sub Divisional Magistrate, Maisisar